

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-34/2026/

पटना, दिनांक -

जल संसाधन विभाग, पटना के निम्नलिखित कनीय अभियंता (असैनिक) को निलम्बन मुक्ति उपरांत विभाग में योगदान की तिथि से पदस्थापन में प्रतीक्षारत अवधि (जो उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित है) को बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (ख) एवं वित्त विभागीय परिपत्र सं0-10128 (वि0) (2) दिनांक 26.12.2003 के तहत विनियमित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कनीय अभियंता का नाम/आई0डी0संख्या	वर्तमान पदस्थापन	विनियमन की अवधि (पदस्थापन की प्रतीक्षा में व्यतीत अवधि)
1	2	3	4
1	श्री नित्यानंद सिन्हा /जे0 10650	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा, बक्सर	दिनांक 14.01.2026 से 26.04.2026 (कुल-103 दिन) तक

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक-2007 दिनांक 25.05.2026 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, सोन नहर अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा, बक्सर/श्री नित्यानंद सिन्हा (जे0 10650), कनीय अभियंता (असै0), गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 4705

पटना/दिनांक - 14/08/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।